तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12.9.19	अकील वादी द्वारा निर्णय दि० 3.9.19 की पालना मे डिग्री जारी करवाने बाबत स्टाम्प पेश किया जो शामिल मिसल किया जा कर डिग्री जारी करके शामिल मिसल की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 139/2009

1 आस्था] पुत्रीया स्व. श्री धर्मवीर नाबालिगांन जरिये माता शारदा पत्नी स्व. श्री धर्मवीर
2 खुशबु] जाति जाट निवासी मक्कासर द्वारा लेखराम मक्कासर।
3 शारदा पत्नी स्व. श्री धर्मवीर जाति जाट निवासी मक्कासर द्वारा लेखराम पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 15 मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 सुमित्रा पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी ढ़ाणी 6 एस.एन.एम. श्रीनगर गणेशगढ़िया भट्टे के पास तहसील व जिला हनुमानगढ।
2 लालचन्द पुत्र श्री सरदाराराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी 6 एस.एन.एम. श्रीनगर गणेशगढ़िया भट्टे के पास तहसील व जिला हनुमानगढ।
3 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
4 तहसीलदार राजस्व पदमपुर तहसील व पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2
3. राजपैरोकार — प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 03.09.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि सजरा खानदान के अनुसार लालचन्द के दो पुत्र नवीन कुमार व धर्मवीर हुए। नवीन कुमार जीवित है जिसकी सम्पति का कोई विवाद नही है और दावा की सम्पति से भी नवीन कुमार व लालचन्द का किसी प्रकार का कोई लेना देना व विवाद कानूनी रूप से नही बनता।

धर्मवीर जो कि लालचन्द का पुत्र था, सन् 2003 में बीमार होकर फौत हो गया, जब धर्मवीर फौत हुआ तो उसके नाम चक 20 एच.एम.एच. में 4.490 हैक्टर कृषि भूमि भूमि थी जो अलग अलग मुरब्बो में थी व इसके अतिरिक्त चक 36 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर में 1.619 हैक्टर भूमि थी। उक्त कृषि भूमि धर्मवीर के कब्जा व काश्त में थीं तत्पश्चात धर्मवीर ने दूसरी शादी वादीया संख्या 3 के साथ सन् 1999 में कर ली क्योकि मन्जू की कोई संतान नही हुई, उस वक्त वादीया को धर्मवीर की प्रथम शादी की कोई जानकारी नही थी। धर्मवीर की मृत्यु सन् 2003 में हो गई उसके पश्चात चक 20 एच.एम. एच. की कृषि भूमि का इन्तकाल धर्मवीर के पिता लालचन्द द्वारा प्रथम पत्नी मन्जू की दस्तबरदारी लिख देने के बाद अपनी पत्नी यानि धर्मवीर की माता सुमित्रा व धर्मवीर की पुत्री आस्था के नाम बहिस्सा बराबर करवा दिया और उक्त इन्तकाल के पश्चात चक 20 एच.एम. एच. की कृषि भूमि का तबादला लालचन्द व सुमित्रा प्रतिवादीगण ने आपस में साजिश कर वादीगण को बताये तबादला आदित्य, विक्रम पुत्रगण विनोद कुमार, तारामणी, नुतन पुत्री लालचन्द, काजल, मोन्टू, पुत्रीयां विनोद कुमार आदि के साथ तबादला कर चक 20 एच.एम.एच. की भूमि इन व्यक्यिों के नाम छोड़कर इनके स्थान पर चक 6 एस.एन.एम. की

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

भूमि तबादला में वादीया नम्बर 1 व प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम लेते हुये इन्तकाल दर्ज करवा लिये। नकल प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश तबादलानामा पेश है। इस प्रकार वाद में मात्र धर्मवीर की सम्पति को हक का विवाद है, अन्य कोई विवाद आज के दिन नही है।

सजरा खानदान के मुताबिक धर्मवीर की 20 एच.एम.एच. की सम्पति का तबादला कर प्रतिवादी नम्बर 1 ने सम्पति चक 6 एस.एन.एम. में प्राप्त कर ली, जिस हेतु वादीगण ने आज रोज भी रजामन्द नही है लेकिन वादी नम्बर 1 व 2 नाबालिग होने के कारण तथा वादीया नम्बर 3 औरतजात तथा आर्थिक रूप से लाचार व अनपढ होने के कारण वक्त व परिस्थति के दृष्टिकोण से न चाहते हुए भी आज के दिन मौजूदा कृषि भूमि चक 6 एस.एन.एम. के लिए वाद दायर कर रही है और मजबूरन तबादला हुई सम्पति के लिए कोई वाद तबादला की कार्यवाही के सम्बन्ध में नही कर पा रही है।

अब मौजूदा सूरत में धर्मवीर की सम्पति जो तबादला होने के बाद वादीया नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हुई, उसकी तफसील निम्न है :–

चक 6 एस.एन.एम. खाता नम्बर 7/8, खाता आस्था आदि, पत्थर नम्बर 112/279 के किला नम्बर 25/1 का 0.063 हैक्टर, पत्थर नम्बर 113/279 के किला नम्बर 11 ता 14 सालम, किला नम्बर 17 ता 23 सालम, किला नम्बर 24/1 का 0.126 हैक्टर, पत्थर नम्बर 114/280 किला नम्बर 17, 24, पत्थर नम्बर 112/280, किला नम्बर 5, 6, पत्थर नम्बर 114/281, किला नम्बर 4, 7 कुल 4.490 हैक्टर मय रास्ता खाला नहरी रिकार्ड पटवार माल दर्ज है। नकल जमाबन्दी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है। इसी प्रकार स्व. श्री धर्मवीर की चक 36 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर में मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 4/1 में 0.126 हैक्टर, किला नम्बर 5 से 9, किला नम्बर 10 में .228 हैक्टर कुल 1.619 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी जो स्व. श्री धर्मवीर के देहान्त उपरान्त वादीया संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खाता संख्या 12/11 सम्वत 2073–2076 प्रस्तुत है।

उक्त कुल भूमि जिसका इन्तकाल प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वादीगण की औरतजात होने व नाबालिग होने तथा आर्थिक रूप से पिछडा होने की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उक्त भूमि वादीया नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 1 के नामे दर्ज करवा ली। जबकि धर्मवीर की प्रथम पत्नी मन्जू द्वारा दस्तबरदारी पंजीकृत करवाने के बाद कुल सम्पति विवादित कृषि भूमि सहित तीनो वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम प्रत्येक के नाम बहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज होनी चाहिए थी और इसी अनुसार रिकार्ड में अमलदरामद होना चाहिए था और इसी अनुसार वादीगण का हक बनता है। धर्मवीर की मृत्यु से दो माह बाद खुशबु वादीया नम्बर 2, वादीया नम्बर 3 नुत्फे से पैदा हुई थी जो विधिक रूप से धर्मवीर की पुत्री है और इसी प्रकार तीनो वादीगण धर्मवीर की सम्पति में प्रतिवादीया नम्बर 1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक रखती है और इसी अनुसार हक घोषित करवाने की व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने के हकदार है जबकि प्रतिवादीगण ने साजिश कर मात्र वादीया नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम भूमि का इन्द्राज करवा लिया।

उक्त भूमि मुश्तर्का खाते की जिसमें वादीया नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 1 बहिस्सा बराबर के मुश्तर्का खातेदार दर्ज है जबकि उक्त कुल कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम प्रत्येक 1/4 हिस्सा हक घोषित होकर उसी अनुसार रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। हिन्दू लॉ के मुताबिक मृतक मेल हिन्दू की तमाम सम्पति उसके पुत्र, पुत्री व पत्नी तथा माता को बहिस्सा बराबर ओद होती है, और दो पत्नीयां होने की अवस्था में दोनो पत्नीयां का एक हिस्से में बराबर का हक होता है लेकिन मन्जू पत्नी धर्मवीर द्वारा त्याग पत्र कुल सम्पति का दे देने के कारण वादीगण नम्बर 1 व 2 का पुत्रीयां होने के कारण तथा

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 3

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

वादी नम्बर 3 की पत्नी होने के कारण तथा प्रतिवादी नम्बर 1 का माता होने के कारण धर्मवीर की सम्पति मे बराबर का हक बनता है इसलिए रिकार्ड में दर्ज होने के साथ साथ वादीगण वाद के पैरा नम्बर 4 में दर्ज सम्पति में से 3/4 हिस्सा का अपने हक अनुसार अच्छी मन्दी के अनुसार तक्सीम करवाने की भी हकदार है ताकि रास्ता खाता, सीव, बट आदि का विवाद नही रहे, और जिस कदर भी कानून के मुताबिक वादीगण का हक बनता हो, उसी अनुसार रिकार्ड में अमलदरामद करवाकर तक्सीम करवाकर मौका पर कब्जा अच्छी मन्दी के हिसाब से प्राप्त करने के अधिकारी है और जो भी भूमि तवसीम में वादीगण को मिलती है, उस भूमि हेतु खाला व रास्ता का प्रबन्ध भी तकसीम के समय किया जावे।

मौजूदा सूरत में कुल सम्पति पर कब्जा व कास्त प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का है। जिन्होने वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज कुल कृषि भूमि पर कब्जा कर रखा है, और वादीगण को काश्त नहीं करने देते, न ही वादीगण को हिस्सा ठेका दे रहे है। न ही वादीगण को जमीन पर जाने देते है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 पति पत्नि है, जिन्होनें एकराय होकर जबरन कब्जा कर रखा है, जो वादीगण प्राप्त करनें के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण अब उक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर विक्रय करने की ताक में है। प्रतिवादीगण ने आपस में साजिश कर धर्मवीर की अन्य सम्पत्ति मकान, दुकान व प्लाट आदि भी विक्रय कर दिया है, ऐसी जानकारी वादीगण को अभी प्राप्त हुई यदि वादीगण के हिस्सा की कृषि भूमि प्रतिवादीगण विक्रय कर देते है तो वादीगण को भारी नुकसान होगा जो हर्जाना से नही आंका जा सकता, ना ही हर्जाना मददकार हो सकता है। इसलिए वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण यह स्थाई निषेधाज्ञा भी पाने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि को किसी भी तरीके पर मुन्तकिल अथवा खुर्द बुर्द न करे व तक्सीम में वादीगण को आने वाली भूमि में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी प्रतिवादीगण न करे। यह स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे।

वादीया नम्बर 1 व 2, प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की पोतियां है तथा वादीया नम्बर 3, प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की पुत्रवधु है लेकिन धर्मवीर की छोटी उम्र में मृत्यु हो गई, जिससे वादीगण लाचार हो गये और किसी भी प्रकार का सहारा वादीगण के पास नही रहा। वादीगण की इस मुसीबत की अवस्था में प्रतिवादीगण जो कि साधन सम्पन्न है, उनको वादीगण को सहारा देना चाहिए था जबकि सहारा देने के स्थान पर वादीगण नम्बर 1 व 3 को प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने घर से निकाल दिया और कृषि भूमि, मकान, प्लाट आदि पर कब्जा कर लिया और आज भी किसी भी प्रकार का खर्चा व गुजारा वादीगण को प्रतिवादीगण ने नही दिया। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पास करीब 125 बीघा नहरी कृषि भूमि है तथा काफी मात्रा में प्लाट व दुकाने भी है तथा कृषि भूमि की उपज अकेले प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 खा रहे है जबकि वादीया नम्बर 3 को प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा धर्मवीर के मरते ही घर से निकाल दिये जाने के बाद वादी नम्बर 3 अपनी पुत्री वादीया नम्बर 1 मजबूरन पिता के साथ ग्राम मक्कासर में रहने लगी और वही खुशबु का जन्म हुआ जो धर्मवीर की ही पुत्री है, इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का सामाजिक दायित्व था कि वे वादीगण की सार सम्भाल, रक्षा, सुरक्षा करते व विकास हेतु बतौर पारिवारिक मुखिया अपना कृत्य निभाते जबकि प्रतिवादीगण ने ऐसा कुछ भी नही किया और धर्मवीर के गुजरते ही वादीया नम्बर 1 व 3 को निकालकर धर्मवीर की सम्पति पर कब्जा कर लिया और आज तक लगातार विवादित सम्पति सहित कुल सम्पति पर कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने कर रखा व मुफाद उठा रहे है।

वादीगण का यह वाद इस्तकरार हक, खाता तक्सीम तथा कब्जा प्राप्ति व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु है जो 3/–रूपये कोर्टफीस पर पेश है। वाद वादीगण अन्तर्गत क्षेत्राधिकार काबिल समायत अदालत हाजा अन्दर हदूद है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

लगातार 4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा करीब 7 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को अर्जी दावा मद नम्बर 4 में दर्ज भूमि में 3/4 हिस्सा का हक वादीगण का मानने व 3/4 हिस्सा का कब्जा देने का और अच्छी मन्दी के हिसाब से तक्सीम करवाने तथा तक्सीम में आई भूमि के रास्ता खाला का प्रबन्ध करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। यही विनाय दावा है। लिहाजा वाद पेश कर अर्ज है कि वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न तरीके से डिक्री किया जावे :–

(क) कृषि भूमि वाके चक 6 एस.एन.एम. खाता नम्बर 7/8, खाता आस्था आदि, पत्थर नम्बर 112/279 किला नम्बर 25/1 का 0.063 हैक्टर, पत्थर नम्बर 113/279 के किला नम्बर 11 ता 14 सालम, किला नम्बर 17 ता 23 सालम, किला नम्बर 24/1 का 0.126 हैक्टर, पत्थर नम्बर 114/280 किला नम्बर 17, 24, पत्थर नम्बर 112/280 किला नम्बर 5, 6, पत्थर नम्बर 114/281, किला नम्बर 4, 7 कुल 4.490 हैक्टर में व चक 36 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर में मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 4/1 में 0.126 हैक्टर, किला नम्बर 5 से 9, किला नम्बर 10 में .228 हैक्टर कुल 1.619 हैक्टर भूमि से वादीगण का व प्रतिवादी नम्बर 1 का बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/4 हिस्सा का हक है, विकल्प में निवेदन है कि कानूनन के मुताबिक जो भी हक व हिस्सा वादीगण का बनता हो, वह घोषित कर रिकार्ड में वादीगण का नाम अमलदरामद करवाया जावे।

(ख) अनुतोष (क) के अनुसार वादीगण को मिलने वाले हक व हिस्सा की सीमा तक खाता वादीगण का अलग कायम कर अच्छी मन्दी के दृष्टिकोण से खाता कायम किया जावे और तक्सीम आई भूमि हेतु खाला व रास्ता का प्रबन्ध भी किया जावे।

(ग) स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण यह जारी किया जावे कि प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि को किसी भी प्रकार से अन्तरित न करे और इस पर कोई भी भार कारित नही करे और अनुतोष (क) व (ख) अनुसार वादीगण को मिलने वाले हक के अनुसार तक्सीम में मिली भूमि में किसी किस्म की मदाखलत प्रतिवादीगण करने से स्थाई तौर पर निषेध रहे।

(घ) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ड) अन्य अनुतोष हक वादीगण बनता हो दिलवाया जावे ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण द्वारा जबाबदावा मय काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। तनकीयात कायम की जाकर शामिल पत्रावली गई। वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये जानें पर प्रतिवादीगण के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 29.08.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढनें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर एवं आपसी विवाद को हमेशा के लिये समाप्त करने के आशय से इस प्रकरण में राजीनामा कर लिया है व मुताबिक राजीनामा इस प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करना तय किया है :–

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 5

Scanned by CamScanner

मिकरा वादिया संख्या 3 शारदा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा में वर्णित तथ्यों को विधि अनुसार सही होना स्वीकार करती है, तथा हिन्दु विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मिकरा वादिया संख्या 3 का स्व. श्री धर्मवीर के साथ वैद्य विवाह नहीं होने से स्व. श्री धर्मवीर की चक 6 एस.एन.एम तहसील हनुमानगढ़ की प्रश्नगत 4.490 हैक्टर व चक 36 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में 1.619 हैक्टर भूमि में कोई विधिक एवं विरास्तन हक नहीं होना स्वीकार करती है। मिकरान वादिया संख्या 1 व 2 यद्यपि श्री धर्मवीर व शारदा के वैवाहिक सम्बनों से उत्पन्न पुत्रियां है लेकिन यह विवाह वैद्य नहीं होने से वादिया संख्या 1 व 2 अधर्मज सन्तान है तथा प्रश्नगत 4.490 हैक्टर भूमि में अपने पिता स्व. श्री धर्मवीर की स्वअर्जित 1.960 हैक्टर अर्थात 7 बीघा 15 बिस्वा में ही अपनी दादी मिकरा प्रतिवादिया संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर की अधिकारिणी है तथा चक 36 एल.एन.पी. की 1.619 हैक्टर भूमि पैतृक सम्पति होने से इस भूमि में मिकरान वादीगण संख्या 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता।

मिकरान वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उक्त विधिक स्थिति के बावजूद सामाजिक दृष्टिकोण से एवम् मिकरान वादीगण संख्या 1 व 2 के भविष्य एवं शैक्षणिक विकास को दृष्टिगत रखते हुये स्व. श्री धर्मवीर की उक्त 4.490 हैक्टर भूमि में शामिल पैतृक कृषि भूमि 2.530 हैक्टर भूमि को भी शामिल करते हुये कुल 4.490 हैक्टर में वादीगण संख्या 1 व 2 को हिस्सा देना स्वीकार कर लिया है तथा इसी प्रकार चक 36 एल.एन.पी. की उक्त वर्णित 1.619 हैक्टर भूमि में भी वादीगण संख्या 1 व 2 को हिस्सा देना स्वीकार कर लिया है तथा दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत है कि चक 6 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के वर्तमान खाता संख्या 9/7 सम्वत 2073–2076 तादादी 4.490 हैक्टर में वर्तमान प्रविष्टि "आस्था पुत्री धर्मवीर व सुमित्रा पत्नि लालचन्द जाति जाट साकिन श्रीनगर बहिस्सा बराबर खातेदार" को विलोपित किया जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादिया संख्या 1 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित कर दिया जावे व वर्तमान जमाबन्दी में विलोपित उक्त प्रविष्टि के स्थान पर "आस्था–खुशबू पुत्रियां स्व. श्री धर्मवीर व सुमित्रा धर्मपत्नि श्री लालचन्द जाति जाट साकिन श्रीनगर बहिस्सा बराबर खातेदार" अंकित कर दिया जावे।

राजीनामा अनुसार कुल 4.490 हैक्टर भूमि में मिकरान वादीगण संख्या 1 व 2 का बहिस्सा बराबर 2.993 हैक्टर अर्थात लगभग 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि का हक बनता है व मिकरा प्रतिवादिया संख्या 1 सुमित्रा का 1.497 हैक्टर अर्थात 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि का हक बनता है। मिकरान वादीगण संख्या 1 व 2 को इकजाई (Compact Block) में भूमि देने के उद्देश्य से मुताबिक घोषणा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खाता विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नलेखित अनुसार प्रदत किये जाने में सहमत है :–

(क) वादीगण संख्या 1 व 2 आस्था–खुशबू पुत्रियां स्व. श्री धर्मवीर की बहिस्सा बराबर की भूमि चक नम्बर 6 एस.एन.एम. के पत्थर नम्बर 112/279 (40) किला नम्बर 25/1 की 0.063 हैक्टर पत्थर नम्बर 113/279 (41) किला नम्बर 11 से 14, 17 से 23, 24/1 की 0.126, पत्थर नम्बर 112/280 (45) किला नम्बर 5/.025 उतरी कुल 2.997 हैक्टर।

(ख) प्रतिवादिया संख्या 1 श्रीमति सुमित्रा धर्मपत्नि श्री लालचन्द के हिस्सा की भूमि चक नम्बर 6 एस.एन.एम. के पत्थर नम्बर 112/280 (45) 5 में 0.228 हैक्टर दक्षिणी, 6 पत्थर नम्बर 114/280 (43) 17, 24 पत्थर नम्बर 114/281 (57) 4, 7 कुल 1.493 हैक्टर।

चक 36 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर के खाता संख्या 12/11 सम्वत 2073–2076 तादादी 1.619 हैक्टर में वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादिया संख्या 1 का बहिस्सा बराबर

लगातार 6

Scanned by CamScanner

खातेदार घोषित किये जाने में सहमत है तथा इस खाता में वर्तमान प्रविष्टि "आस्था पुत्री धर्मवीर व सुमित्रा पत्नि लालचन्द जाति जाट साकिन श्रीनगर बहिस्सा बराबर खातेदार" को विलोपित किया जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादिया संख्या 1 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित कर दिया जावे तथा वर्तमान जमाबन्दी में विलोपित उक्त प्रविष्टि के स्थान पर "आस्था–खुशबू पुत्रियां स्व. श्री धर्मवीर व सुमित्रा धर्मपत्नि श्री लालचन्द जाति जाट साकिन श्रीनगर बहिस्सा बराबर खातेदार" अंकित कर दिया जावे। उक्त 1.691 हैक्टर भूमि मिकरान वादीगण संख्या–1 व 2 व प्रतिवादिया संख्या 1 संयुक्त रखना चाहती हैं।

उक्तानुसार दोनों पक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा व अंतिम खाता विभाजन की डिक्री जारी किये जाने में सहमत है। अतः यह राजीनामा मिकरान ने अपनी स्वतन्त्र ईच्छा व विवेक से निष्पादित कर दिया है कि सनद रहे।

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की और से राज पैराकार द्वारा जवाब स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को ध्यान में रखते हुए याचित अनुतोष प्रदान किया जावे।

प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होनें के कारण उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एस.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी

लगातार 7

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित चक 6 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के वर्तमान खाता संख्या 9/7 की कुल तादादी 4.490 हैक्टर में वर्तमान प्रविष्टि "आस्था पुत्री धर्मवीर व सुमित्रा पत्नि लालचन्द जाति जाट साकिन श्रीनगर बहिस्सा बराबर खातेदार" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "आस्था–खुशबू पुत्रियां स्व. श्री धर्मवीर व सुमित्रा धर्मपत्नि श्री लालचन्द जाति जाट साकिन श्रीनगर बहिस्सा बराबर खातेदार" घोषित किया जाता है। तथा चक 36 एल. एन.पी. तहसील पदमपुर के खाता संख्या 12/11 की कुल तादादी 1.619 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्टि "आस्था पुत्री धर्मवीर व सुमित्रा पत्नि लालचन्द जाति जाट साकिन श्रीनगर बहिस्सा बराबर खातेदार" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "आस्था–खुशबू पुत्रियां स्व. श्री धर्मवीर व सुमित्रा धर्मपत्नि श्री लालचन्द जाति जाट साकिन श्रीनगर बहिस्सा बराबर खातेदार" खातेदार घोषित किया जाता है।

उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के मुताबिक चक 6 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के वर्तमान खाता संख्या 9/7 की कुल तादादी 4.490 हैक्टर भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

(क) वादीगण संख्या 1 व 2 आस्था–खुशबू पुत्रियां स्व. श्री धर्मवीर की बहिस्सा बराबर की भूमि चक नम्बर 6 एस.एन.एम. के पत्थर नम्बर 112/279 (40) किला नम्बर 25/1 की 0.063 हैक्टर पत्थर नम्बर 113/279 (41) किला नम्बर 11 से 14, 17 से 23, 24/1 की 0.126, पत्थर नम्बर 112/280 (45) किला नम्बर 5/.025 उतरी कुल 2.997 हैक्टर।

(ख) प्रतिवादिया संख्या 1 श्रीमति सुमित्रा धर्मपत्नि श्री लालचन्द के हिस्सा की भूमि चक नम्बर 6 एस.एन.एम. के पत्थर नम्बर 112/280 (45) 5 में 0.228 हैक्टर दक्षिणी, 6 पत्थर नम्बर 114/280 (43) 17, 24 पत्थर नम्बर 114/281 (57) 4, 7 कुल 1.493 हैक्टर।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़/पदमपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 03.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 139/2009

1 आस्था } पुत्रीया स्व. श्री धर्मवीर नाबालिगांन जरिये माता शारदा पत्नी स्व. श्री धर्मवीर
2 खुशबु } जाति जाट निवासी मक्कासर द्वारा लेखराम मक्कासर।
3 शारदा पत्नी स्व. श्री धर्मवीर जाति जाट निवासी मक्कासर द्वारा लेखराम पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 15 मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 सुमित्रा पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी ढ़ाणी 6 एस.एन.एम. श्रीनगर गणेशगढ़िया भट्टे के पास तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 लालचन्द पुत्र श्री सरदाराराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी 6 एस.एन.एम. श्रीनगर गणेशगढ़िया भट्टे के पास तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
4 तहसीलदार राजस्व पदमपुर तहसील व पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन
निर्णय दिनांक :– 03.09.2019

वादीगण की और से श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक .....09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित चक 6 एस. एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के वर्तमान खाता संख्या 9/7 की कुल तादादी 4.490 हैक्टर में वर्तमान प्रविष्टि "आस्था पुत्री धर्मवीर व सुमित्रा पत्नि लालचन्द जाति जाट साकिन श्रीनगर बहिस्सा बराबर खातेदार" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "आस्था–खुशबू पुत्रियां स्व. श्री धर्मवीर व सुमित्रा धर्मपत्नि श्री लालचन्द जाति जाट साकिन श्रीनगर बहिस्सा बराबर खातेदार" घोषित किया जाता है। तथा चक 36 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर के खाता संख्या 12/11 की कुल तादादी 1.619 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्टि "आस्था पुत्री धर्मवीर व सुमित्रा पत्नि लालचन्द जाति जाट साकिन श्रीनगर बहिस्सा बराबर खातेदार" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "आस्था–खुशबू पुत्रियां स्व. श्री धर्मवीर व सुमित्रा धर्मपत्नि श्री लालचन्द जाति जाट साकिन श्रीनगर बहिस्सा बराबर खातेदार" खातेदार घोषित किया जाता है।

उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के मुताबिक चक 6 एस.एन.एम. तहसील हनुमानगढ़ के वर्तमान खाता संख्या 9/7 की कुल तादादी 4.490 हैक्टर भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

(क) वादीगण संख्या 1 व 2 आस्था–खुशबू पुत्रियां स्व. श्री धर्मवीर की बहिस्सा बराबर की भूमि चक नम्बर 6 एस.एन.एम. के पत्थर नम्बर 112/279 (40) किला नम्बर 25/1 की 0.063 हैक्टर पत्थर नम्बर 113/279 (41) किला नम्बर 11 से 14, 17 से 23, 24/1 की 0.126, पत्थर नम्बर 112/280 (45) किला नम्बर 5/.025 उतरी कुल 2.997 हैक्टर।

(ख) प्रतिवादिया संख्या 1 श्रीमति सुमित्रा धर्मपत्नि श्री लालचन्द के हिस्सा की भूमि चक नम्बर 6 एस.एन.एम. के पत्थर नम्बर 112/280 (45) 5 में 0.228 हैक्टर दक्षिणी, 6 पत्थर नम्बर 114/280 (43) 17, 24 पत्थर नम्बर 114/281 (57) 4, 7 कुल 1.493 हैक्टर।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :– 139/2009 अनवान आस्था बनाम सुमित्रा)

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़/पदमपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 12.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		
योग	– –	योग	– –

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.20 15:31:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: